न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एक्ट, भदोही–ज्ञानपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–226/2026

UPSN010006922026

रामजन्म यादव उम्र लगभग 47 वर्ष पुत्र रामअचल, निवासी विजलिया डीह, थाना अयोध्या जिला अयोध्या ।

.......अभियुक्त

बनाम

1–उ०प्र० राज्य

2–दिनेशचंद्र यादव पुत्र बौड़म निवासी उम्मरपुर थाना गोपीगंज, जिला भदोही हाल मुकाम गोकुलधाम आश्रम पर्वतपुर गोपीगंज थाना गोपीगंज जिला भदोही।

......अभियोजन

फौजदारी परिवाद संख्या 7302/22

धारा–420, 504 आई.पी.सी

थाना–गोपीगंज , जिला–भदोही।

दिनांक 07.04.2026

1. आवेदक/अभियुक्त की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 बी.एन.एस.एस. का यह प्रथम प्रार्थना पत्र फौजदारी परिवाद संख्या 7302/22, धारा–420, 504 आई.पी.सी, थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादी के अस्पताल पर डा० अजय अजनवी जो मऊ के निवासी थे, डी०एल०डब्लू० में नौकरी करते थे अस्पताल में आते–जाते थे। उसके परचित में थे, उन्हीं के साथ कभी–कभार रामजनम दादव पुत्र राम अचल यादव निवासी बिजलिया डीह, पो० दर्शननगर, जिला फैजाबाद आते–जाते थे। परिवादी अपनी कार इन्डिगो जिसका पंजीयन नं० यू०पी० 66 टी० 0426 था, जिसे परिवादी वर्ष 2009 में क्रय किया था। विक्रय की जानकारी रामजनम यादव को हुई, जिसने उसकी गाड़ी उपरोक्त को खरीदने का प्रस्ताव परिवादी के अस्पताल में उमाशंकर यादव व पंकज पुत्र बलजोर के समक्ष रखा। परिवादी व रामजनम यादव के बीच यह तय हुआ कि परिवादी को रामजन्म यादव मु० 1,21640/–रुपये अदा कर उक्त गाड़ी को उससे विक्रय करा लिया और तय किया गया कि उक्त गाड़ी पर जो भी रोड टैक्स आयेगा व गाड़ी पर बकाया महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाईनेन्स की किश्त मु० 17098/– रुपये मासिक 36 किश्तों में अदा करेगा। परिवादी ने उक्त गाड़ी को दिनांक–22.12.2011 को रामजनम यादव को विक्रय कर दिया। उक्त गाड़ी को रामजनम यादव अपने यहाँ ले जाकर चला रहे थे। परिवादी उक्त विक्रय के समय ही अपना आई०डी० फोटो व स्थानान्तरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करके दिया। परिवादी ने उक्त रामजनम से बीच–बीच में फोन द्वारा बात करता रहा कि आप उक्त गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफर करा लीजिये। रामजनम यादव द्वारा कहा गया कि रोड टैक्स व फाईनेन्स का किश्त बराबर अदा कर रहा है। पूर्ण होने पर तत्काल अपना ट्रांसफर कराकर आपको सूचित कर देंगे। एक सप्ताह पूर्व वसूली अमीन द्वारा बताया गया कि आपने जो कार यू०पी० 66 टी० 0426 की बकाया रोड टैक्स का वसूली आयी है। परिवादी दिनांक–22.03.2022 को रामजनम यादव को फोन कर कहा कि आप न तो किश्त जमा किये न ही गाड़ी का रोड टैक्स जमा किये न नाम ट्रांसफर कराये हैं यदि आप रोड टैक्स नहीं जमा कर सकते हैं तो गाड़ी वापस कर दो। परिवादी की उक्त बात को लेकर रामजनम ने

उसे माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहा कि गाड़ी भूल जाओ तथा रोड टैक्स अपना जमा करो और उससे बात मत करो नहीं तो गाड़ी के साथ आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त मुकदमा मे उसको झूठा फसाया गया है, वह बेगुनाह है और कोई अपराध कारित नही किया है। उसके द्वारा दिया जा रहा यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही, उससे परिवादी दिनेशचन्द्र यादव ने कोई मोटर वाहन का सौदा नही किया न परिवादी दिनेशचन्द यादव ने कोई मोटर गाड़ी बेचा न तो किसी गाड़ी का उसको स्वामित्व प्रदान किया। परिवादी ने जाली फर्जी ढंग से अभिलेख तैयार कराया, उसका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अभिलेख तैयार कर झूठे आशय का परिवादपत्र उसके खिलाफ दाखिल किया है, परिवादी ने कोई वाहन दिनांक 22.12.2011 को उसको विक्रय नही किया और न कोई सेल लेटर दिया था। उसने परिवादी को न गाली दिया न धमकी दिया झूठा मकदमा परिवादी ने उसके विरुद्ध दाखिल किया है। वह अयोध्या का रहने वाला है अयोध्या से भदोही की दूरी लगभग 220 कि0 मी0 है। उसको पहले मुकदमें की जानकारी नही हुई बादहूँ पुलिस उसके घर गयी और बिना कुछ बताये हस्ताक्षर कागज पर करा लिया और कहा कि थाने आओ तब बतायेंगे। वह मोटर ड्राईविंग करने वाला व मजदूरी करने वाला व्यक्ति है दूसरे मालिक की गाड़ी चलाता है, वह भाड़ा लेकर बाहर चला गया था और वहीं पर गाडी चलाता था। उसको नियत तारीख की जानकारी नही हो सकी जिसके कारण वह न्यायालय हाजिर नहीं हो सका जानबूझकर न्यायालय हाजिर होने में लापरवाही नही किया है। वह टाटा इण्डिगो सी०एच० गाड़ी खरीदना चाहता था और उसके पास कोई टर्न ओवर नही था परिवादी ने कहा कि परिवादी के पास टर्न ओवर है आधारकार्ड है वह परिवादी के नाम गाड़ी खरीदने में कई बार पैसा दिया। जिसे कि परिवादी को गाडी के किस्त को देना था। वह ड्राईवर है परिवादी विहार में वहाँ के विधायक ददन पहलवान के यहाँ जाना चाहता था और वही उसकी मुलाकात उससे विहार में हुई उसके बाद परिवादी दिल्ली आया और दिल्ली में भी परिवादी गाड़ी चलवाता था वहाँ भी उसकी मुलाकात परिवादी से हुई। वह गाडी खरीदा लेकिन उपरोक्त परिस्थितियों में गाड़ी परिवादी के नाम लिया परिवादी ने कहा कि भदोही में रजिस्ट्रेशन करा दूँगा। यह कि परिवादी गाड़ी स्वयं चलवाता रहा और किस्त प्रार्थी स्वयं अदा करता रहा। यह कि उपरोक्त मुकदमा में जो इकरारनामा परिवादी ने दाखिल किया है उसमे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि गाड़ी को फाईनेन्स कराकर रामजनम को दे दिया जायेगा। जब परिवादी अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेगा तब परिवादी को दे देगा और वाहन का हस्तान्तरण परिवादी दिनेश के स्थान पर प्रार्थी रामजनम करा लेगा। वह निर्दोष है किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि प्रार्थी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नही किया गया है। यह कि उपरोक्त सभी अपराध धाराओ मे 7 वर्ष से कम की सजा का प्राविधान है और उसका मामला सत्येन्द्र कुमार अण्टिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेणी क के अन्तर्गत आता है। वह अग्रिम जमानत देने को तैयार है अग्रिम जमानत मुचलका पर रिहा होने पर अग्रिम जमानत मुचलका का कोई दुरुपयोग नही करेगा, दौरान विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेंगा अभियोजन पक्ष के गवाहो पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा न अभियोजन साक्ष्य से किसी प्रकार का कोई छेडछाड़ करेगा।वह बिना न्यायालय के आदेश से देश से बाहर नही जायेगा। न्याय की दृष्टि से उसको अग्रिम जमानत मुचलका पर रिहा किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमा नम्बर 7302 सन् 2022 धारा 420, 504 में प्रार्थी को दौरान विचारण अग्रिम जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की आज्ञा प्रदान करें ताकि न्याय हो।

4. परिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा झूठे कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य

है। परिवादी ने सही–सही घटना की आधार पर न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही के यहां परिवादपत्र दाखिल किया था, जिस पर विधिक आदेश दिनांक 29.11.2022 पारित किया गया है। अभियुक्त चालाक फितरती व्यक्ति है। परिवादी शांतिप्रिय व्यक्ति है गोपीगंज में अस्पताल चलाता है। प्रार्थी के अस्पताल पर डॉक्टर अजय अजनबी आते–जाते थे, परिचित थे, उन्हीं के साथ रामजनम यादव पुत्र रामअचल यादव निवासी बिजलीया डीह, थाना अयोध्या, जिला अयोध्या आते–जाते थे। जिससे परिचय हुआ। प्रार्थी ने इण्डिको कार नं० UP 66 T 0426 सन् 2004 में क्रय किया था, विक्रय करना चाहता था, जिसकी जानकारी होने पर समक्ष गवाहान अभियुक्त रामजनम उपरोक्त गाडी खरीदने का प्रस्ताव रखा। यह कि प्रार्थी अभियुक्त रामजनम को समक्ष गवाहान बातचीत (1.21640/– रूपया) परिवादी को नगद देकर गाड़ी का जो भी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा का फाईनेंस बाकी किस्त व रोड टैक्स जमा करेगा किस्त पूरा होने पर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करा देगा, जिसको दिनांक 22.12.2011 को लिखित शपथपत्र नोटरी कर बिक्रय कर गाड़ी दे दिया, जिसमें अभियुक्त स्वयं उपस्थित होकर अपना हस्ताक्षर बनाया है, और मौके पर उपस्थित गवाह भी हस्ताक्षर बनाये है। यह कि अभियुक्त गाड़ी लेकर लगातार गाड़ी चलाकर गाड़ी का लाभ अर्जित करता रहा और गाड़ी का फाईनेंस किस्त महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा में व रोड टैक्स भरता रहा है, और गाड़ी अपने पास अयोध्या में रख कर चलाता रहा। यह कि आपत्तिकर्ता अभियुक्त से बातचीत फोन से व मिलने पर होता तो यही कहा कि, गाड़ी का किस्त व टैक्स जमा कर रहा हूं। पूरा जमा करने के बाद गाड़ी का ट्रांसफर करा लूंगा जब प्रार्थी के पास परिवहन विभाग की कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी भदोही (ए.आर.टी.ओ.) बकाया टैक्स की आर. सी. प्राप्त हुई तो जानकारी हुई। प्रार्थी अभियुक्त से 22.03.2022 को फोन करके कहा कि, आप गाड़ी का किस्त व रोड टैक्स जमा नही कर रहे हो वसूली आयी है वह जमा कर सको तो जमा कर दो नही तो गाड़ी वापस कर दो जिस पर अभियुक्त ने माधरचोद, भोषड़ी वाले की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए कहा कि, गाड़ी भूल जाओ और टैक्स जमा करो यदि मुझसे बात करोगे तो जान से मार डालूंगा। यह कि घटना की सूचना थाना गोपीगंज में दिया कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक भदोही को 07.04.2022 को रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिया फिर भी कोई कार्यवाही नही की गयी तो न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही मुकदमा दाखिल किया जिसमें थाना गोपीगंज द्वारा रिपोर्ट मंगायी गयी उक्त रिपोर्ट दिनांक 02.05.2022 को स्पष्ट किया गया कि, प्रार्थी की गाडी अभियुक्त द्वारा लिया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा परिवादी का बयान अंकित कर व गाड़ी बिक्रय के समय उपस्थित गवाह उमाशंकर व रण बहादुर उर्फ पंकज का बयान लिया वापस से घटना को सही पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को तलब किया गया है। यह कि साक्ष्य सबूत सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 29. 11.2022 को धारा 420, 504 आई०पी०सी० में अभियुक्त रामजनम को तलब किया गया, जिसकी पैरवी होने पर दिनांक 21.08.2023 को सम्मन का तामिला होने पर बी०डब्ल्यू० का आदेश जारी हुआ। लगातार पैरवी पर व अभियुक्त को उक्त आदेश की बखूबी जानकारी रखते हुए दिनांक 20.12.2025 को पक्की नकल भी अपने अधिवक्ता से प्राप्त किया इसके बावजूद लगातार जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित रहा और कई बार बी०डब्ल्यू० का आदेश पारित हो जाने के बाद दिनांक 04.12.2025 को एन०बी०डब्ल्यू० का आदेश पारित किया गया। एन०बी०डब्ल्यू का आदेश हो जाने के बाद अभियुक्त को थाना अयोध्या पुलिस पकड़ कर दो जमानतदार का जमानत लेकर मुचलका पर छोड़ा और न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2025 को जमानतदारों को नोटिस जारी हुई इसके बाद अभियुक्त न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित न होकर न्यायालय श्रीमान् सत्र न्यायाधीश महोदय भदोही के यहां अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया गया है जोकि असत्य कथन कानून के विपरीत दिया गया है, खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अभियुक्त शातिर चालाक व्यक्ति है।

प्रार्थी शांतिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्त प्रार्थी का गाड़ी लेकर अपने पास रखकर लाभ अर्जित कर रहा है, और गाड़ी का किस्त व टैक्स प्रार्थी को भरना पड़ रहा है। जोकि अब तब ए.आर.टी.ओ. के यहां 2,88,000/– रूपया का टैक्स व फाईनेंस का भी बकाया हो चुका है। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित होने में काफी हीला–हवाली किये है, और बाद होने अग्रिम जमानत भाग जायेगा फिर न्यायालय में उपस्थित नही आयेगा। यह कि अभियुक्त प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते जमानत होने पर प्रार्थी के जान का खतरा बराबर बना रहेगा, तथा गवाहों को भी धमका कर गवाही से रोक सकते है। यह कि सही–सही घटना पर न्यायालय द्वारा अभियुक्ति को तलब किया गया है। अग्रिम जमानत सरसरी तौर पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति स्वीकार कर जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने की कृपा करें, ताकि न्याय हो।

5. विद्वान् अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया, यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त के जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये ।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण परिवाद से सम्बंधित है। आरोपित धाराओं में सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं दिखाया गया है। विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 SCC 51** में प्रतिपादित सिद्धांत तथा मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता हैं तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

. प्रार्थी/अभियुक्त रामजन्म यादव पुत्र रामअचल, निवासी विजलिया डीह, थाना अयोध्या जिला अयोध्या का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, फौजदारी परिवाद संख्या 7302/22, धारा–420, 504 आई.पी.सी, थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही के मामले में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण के विचारण पूर्ण होने तक मु० 50,000/– (पचास हजार रुपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र व उतने ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा ।
4. प्रार्थी/अभियुक्त में दौरान विचारण अवर न्यायालय के समक्ष सभी नियत तिथियों पर उपस्थित आएगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर अग्रिम जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 07.04.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.04.15 11:03:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court